न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 473/2025

राकेश जोशी, निवासी मित्तल कालोनी, वार्ड नं0 49, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 24.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 473/2025 पर दिनांक 10.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4965–966 दिनांक 10.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1225 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री राकेश जोशी, निवासी मित्तल कालोनी, वार्ड नम्बर 49, झुंझुनूं का आवेदन ऑनलाईन इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक नियमानुसार इस कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1225 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री राकेश जोशी, निवासी मित्तल कालोनी, वार्ड नम्बर 49, झुंझुनूं का आवेदन ऑनलाईन उनके कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक नियमानुसार उनके कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। चूंकि आवेदक का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), झुंझुनूं को प्राप्त नही हुआ है जिसके कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं